

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::

सतीश कुमार (R.T.S )

मिसल नं. :::

12/2020

सरकार बनाम

इन्द्राज पुत्र सोहनलाल, जाति जाट,  
निवासी- नेतरामपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 19.02.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल इन्द्राज पुत्र सोहनलाल, जाति जाट, निवासी- नेतरामपुरा द्वारा रोही मौजा नेतरामपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 100 के कुल रकबा 5.92 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.10 है० भूमि पर बाड़ा व बटोड़ार अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किये गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। अधिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 23 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 26  
वर्ष 2019-20 में रुपये 23 कायम कि.

राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)

नायब तहसीलदार सूरजगढ़